तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01-04-25	राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 75/2024 (2024/213) अनवान अशोक गहलोत बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी जोधपुर अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम प्रार्थी अशोक गहलोत पुत्र नेमाराम गहलोत जाति माली निवासी ग्राम सालावास तहसील लूणी जोधपुर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी कृषि भूमि ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 426 रकबा 6.6287 हैक्टैयर व खसरा नम्बर 728 रकबा 10.6837 हैक्टैयर कुल दो खसरे में प्रार्थी के पिता का नाम खातेदार के रूप में नीमाराम के तौर पर नाम अमल दरामद किया हुआ है। प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम नेमाराम है जो कि इनके आधार कार्ड, पहचान कार्ड, परिवार राशन कार्ड, व जन आधार कार्ड इत्यादि में अंकित है, उक्त खातेदारी भूमि में नाम नीमाराम गलती से दर्ज हो गया था। नीमाराम एवं नेमाराम एक ही नाम के व्यक्ति अर्थात प्रार्थी के पिता के नाम है। नाम सम्बन्धी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा तथा अशुद्वि को शुद्वि करवाये जाने पर सही एंव वास्तविक नाम दर्ज होने पर भविष्य में कोई कानूनी अड़चन पैदा न हो इसलिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित पक्षकार को जरिये नोटिस जवाब तलब किया गया। तहसीलदार भू.अ. लूणी के पत्रांक/भू.अ./2025/546 दिनांक 19.02.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल मिसल की गई। जिसके अनुसार ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 426, 728 में प्रार्थी के पिता का नाम नीमाराम देह खातेदार दर्ज है। तब से लगातार राजस्व रेकर्ड में दर्ज चला आ रहा है। नीमाराम व नेमाराम एक ही व्यक्ति होना बताया तथा नीमाराम उर्फ नेमाराम शुद्व करने की अनुशंषा की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड ग्राम ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 426 रकबा 6.6287 हैक्टैयर व खसरा नम्बर 728 रकबा 10.6837 हैक्टैयर कुल दो खसरे में प्रार्थी के पिता का नाम नीमाराम सा. देह खातेदार दर्ज है। तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट दिनांक 19.02.2025 के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम उक्त राजस्व रेकर्ड में जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 5349 के दर्ज हुआ तब से निरन्तर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज है। तथा प्रस्तुत पहचान दस्तावेजात में नेमाराम दर्ज होना बताया। उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता नाम भूलवंश गलत दर्ज हो गया जबकि सही नाम नीमाराम नही होकर नेमाराम है। जो सही है और इनको अपने परिवार, समाज व ग्राम में भी इन्ही नाम से जाना पहचाना जाता है। प्रार्थी की और से अपने प्रस्तुत दस्तावेजात पेश किये जिसमें सही नाम नेमाराम पुत्र नथूराम दर्ज होना बताया गया। नेमाराम व नीमाराम एक ही व्यक्ति है। अतः उपरोक्त विवेचन एंव प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्रों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम सालावास खसरा नम्बर 426 रकबा 6.6287 हैक्टैयर व खसरा नम्बर 728 रकबा 10.6837 हैक्टैयर कुल दो खसरे में प्रार्थी के पिता का नाम नीमाराम के स्थान पर नेमाराम उर्फ नीमाराम रेकर्ड दुरूस्ती का अमल दरामद करें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फेशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	